महावितरण (TM)
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित
प्रकाशगड, ५ वा मजला, स्टेशन रोड, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१
दु.क्र.(ऑ.)२६४७४२११, २६४७२१३१ वि.क्र.३५०७ (वै.)२६४७४७५१ फॅक्स : ०२२.२६४७६२३३, २६४७२३१८

**क्र. मु.अ. (वा) / लेखा /ग्रा.पं.दिवाबत्ती/५५/२०१२-१३/** 1915 **दिनांक :** 02 APR 2013

# परिपत्रक - १७८

**विषय :-** ग्रामपंचायतीना रस्त्यावरील विजेच्या दिव्यांच्या वीज बिलांची रक्कम देण्यासाठी सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षासाठी अनुदानापोटी मंजूर केलेली रक्कम रु. ३,००,००,०००/- (रुपये तीन कोटी फक्त)

**संदर्भ :-** १) शासन निर्णय क्र. अर्थसं २०१२/प्र.क्र.१७/वित्त-२ दि. ११.०२.२०१३.
२) शासन निर्णय क्र. अर्थसं २०१२/प्र.क्र.२५/वित्त-२ दि. १२.०२.२०१३.
३) शासन निर्णय क्र. अर्थसं २०१२/प्र.क्र.१७/वित्त-२ दि. १९.०३.२०१३.
४) शासन निर्णय क्र. अर्थसं २०१२/प्र.क्र.२५/वित्त-२ दि. २८.०३.२०१३

---

ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील रस्त्यावरील दिवाबत्तीची वीज देयके भागविण्यासाठी शासन ग्रामपंचायतींना १०० टक्के अनुदान देते. सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात सदर अनुदानासाठी रक्कम रुपये ११९,२०,००,०००/- (रुपये एकशे एकोणीस कोटी वीस लाख फक्त) इतकी मुळ तरतूद व पुरवणी मागणी तरतूद डिसेंबर २०१२ च्या अधिवेशनात मंजूर झालेली रु. २०,००,००,०००/- (रुपये वीस कोटी फक्त) अशी एकूण रु. १३९,२०,००,०००/- (रुपये एकशे एकोणचाळीस कोटी वीस लाख फक्त) शासकीय अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे, त्यापैकी खालीलप्रमाणे शासन निर्णयानुसार महावितरण कंपनीस रक्कम प्राप्त झालेली आहे.

| | |
|---|---|
| १) शासन निर्णय क्र. अर्थसं २०१२/प्र.क्र.१७/वित्त-२ दि. ६.०८.२०१२ | रु. ८९.४० कोटी |
| २) शासन निर्णय क्र. अर्थसं २०१२/प्र.क्र.१७/वित्त-२ दि. ११.०२.२०१३ | रु. ११.९२ कोटी |
| ३) शासन निर्णय क्र. अर्थसं २०१२/प्र.क्र.२५/वित्त-२ दि. १२.०२.२०१३. | रु. १७.०० कोटी |
| ४) शासन निर्णय क्र. अर्थसं २०१२/प्र.क्र.१७/वित्त-२ दि. १९.०३.२०१३. | रु. १७.८८ कोटी |
| ५) शासन निर्णय क्र. अर्थसं २०१२/प्र.क्र.२५/वित्त-२ दि. २८.०३.२०१३. | रु. ०३.०० कोटी |
| | **एकूण रु. १३९.२० कोटी** |

शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या जिल्हानिहाय विवरण पत्रात दर्शविल्याप्रमाणे शासनाकडून, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादितला रोखीत प्राप्त झाले आहेत. यापैकी रु. १३६,२०,००,०००/- (रुपये एकशे छत्तीस कोटी वीस लाख फक्त) आपणांस या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. १६७ दि. १२.०९.२०१२ व परिपत्रक क्र. १७५ दि. २८.३.२०१३ प्रमाणे वितरीत केलेली आहेत. आता या सोबत जोडलेल्या उर्वरित रक्कम रु. ३,००,००,०००/- चे जिल्हानिहाय विवरण पत्रातील रक्कमेचे, संबंधीत जिल्हयातील ग्रामपंचायतीच्या नावाने थकबाकीच्या प्रमाणात वर्ग करण्याबाबत संबंधितांनी जरुर ती कार्यवाही करावी.

थकबाकी पोटी समायोजित करण्यात आलेल्या रक्कमेचे (सन २०१२-१३) ग्रामपंचायत निहाय विवरण पत्राची एक प्रत संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा वित्त अधिकारी तसेच विभागीय आयुक्त व उपसचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय-मुंबई-३२ यांच्यासह या कार्यालयास त्वरित पाठवावी.

**सोबत :** सहपत्र वरीलप्रमाणे

डॉ. वि. रा. क्षे

**मुख्य अभियंता (वाणिज्य)**

## विवरणपत्र

शासन निर्णय क्र. अर्थसं.२०१२/प्र.क्र.२५/वित्त-२, दिनांक २८मार्च,२०१३ चे विवरणपत्र, मागणी क्र. एल -५ लेखाशिर्ष ३६०४ - स्थानिक संस्था व पंचायत राज संस्था यांना नुकसान भरपाईच्या व अभिहस्तांकित रकमा देणे. २००, इतर संकीर्ण नुकसान भरपाईच्या व अभिहस्तांकित रकमा देणे (०१) (०३) रस्त्यावरील विजेच्या दिव्याची वीज बिलांची रक्कम देण्यासाठी ग्राम पंचायतीना १०० %अनुदान (३६०४०३२५) (दत्तमत) ५० इतर खर्च.

(रुपये/ लाखात)

| अ. क्र. | जिल्हा परिषद | या शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यांत येत असलेले अनुदान रु. ३,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी फक्त) | |
|---|---|---|---|
| — | २ | ३ | ४ |
| १ | ठाणे | ९ | (रुपये नऊ लक्ष फक्त) |
| २ | रायगड | ४ | (रुपये चार लक्ष फक्त) |
| ३ | रत्नागिरी | ५ | (रुपये पाच लक्ष फक्त) |
| ४ | सिंधुदुर्ग | २ | (रुपये दोन लक्ष फक्त) |
| ५ | नाशिक | १८ | (रुपये अठरा लक्ष फक्त) |
| ६ | धुळे | ५ | (रुपये पाच लक्ष फक्त) |
| ७ | नंदुरबार | १० | (रुपये दहा लक्ष फक्त) |
| ८ | जळगांव | ११ | (रुपये अकरा लक्ष फक्त) |
| ९ | अहमदनगर | ९ | (रुपये नऊ लक्ष फक्त) |
| १० | पुणे | ११ | (रुपये अकरा लक्ष फक्त) |
| ११ | सातारा | १३ | (रुपये तेरा लक्ष फक्त) |
| १२ | सांगली | ७ | (रुपये सात लक्ष फक्त) |
| १३ | सोलापूर | ११ | रुपये अकरा लक्ष फक्त) |
| १४ | कोल्हापूर | ५ | (रुपये पाच लक्ष फक्त) |
| १५ | औरंगाबाद | ११ | (रुपये अकरा लक्ष फक्त) |
| १६ | जालना | ७ | (रुपये सात लक्ष फक्त) |
| १७ | परभणी | १४ | (रुपये चौदा लक्ष फक्त) |
| १८ | हिंगोली | ८ | (रुपये आठ लक्ष फक्त) |
| १९ | बीड | १४ | (रुपये चौदा लक्ष फक्त) |
| २० | नांदेड | १९ | (रुपये एकोणीस लक्ष फक्त) |
| २१ | उस्मानाबाद | ७ | (रुपये सात लक्ष फक्त) |
| २२ | लातूर | १४ | (रुपये चौदा लक्ष फक्त) |
| २३ | बुलढाणा | १० | (रुपये दहा लक्ष फक्त) |
| २४ | अकोला | ५ | (रुपये पाच लक्ष फक्त) |
| २५ | वाशिम | ४ | (रुपये चार लक्ष फक्त) |
| २६ | अमरावती | ८ | (रुपये आठ लक्ष फक्त) |
| २७ | यवतमाळ | १३ | (रुपये तेरा लक्ष फक्त) |
| २८ | वर्धा | ८ | (रुपये आठ लक्ष फक्त) |
| २९ | नागपूर | ११ | (रुपये अकरा लक्ष फक्त) |
| ३० | भंडारा | ५ | (रुपये पाच लक्ष फक्त) |
| ३१ | गोंदीया | ३ | (रुपये तीन लक्ष फक्त) |
| ३२ | चंद्रपूर | ९ | (रुपये नऊ लक्ष फक्त) |
| ३३ | गडचिरोली | १० | (रुपये दहा लक्ष फक्त) |
| | **एकूण** | **३००** | **( रुपये तीन कोटी फक्त )** |

(पां.रा.खोटरे)
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.